मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकारण
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

कमांक।3086/22/वि–12/ग्रासविप्रा/लेखा/15/ भोपाल, दिनांक07/07/2015

प्रति,

महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई,
मध्यप्रदेश।

विषयः– परियोजना कियान्वयन इकाईयों में निरीक्षण वाहन किराये पर लेने विषयक।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क. 16607/22/वि–12/ई–10–143/2011, दिनांक 23.11.2011

इस प्राधिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा परियोजना कियान्वयन इकाईयों में निरीक्षण वाहन किराये पर लिए जाने हेतु अधिकतम मासिक किराए की सीमा रू. 18000/–(अठारह हजार रूपये मात्र) की रखी गई है। एतद् द्वारा उक्त सीमा को बढ़ा कर रू. 21000/–(इक्कीस हजार रूपये मात्र) मासिक किया जाता है। यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

1. महाप्रबंधक हेतु एक वाहन तथा सहायक प्रबंधक एवं उपयंत्री हेतु अधिकतम 2 वाहन इस तरह कुल तीन वाहन किराए पर उपलब्ध होंगे। महाप्रबंधक, मितव्ययता एवं वाहनों का दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से आवश्यकता के अनुरूप इन वाहनों को सहायक प्रबंधक/उपयंत्री को उपलब्ध करा सकतें है।
2. वाहन टेक्सी कोटे में पंजीबद्ध होना आवश्यक है।
3. वाहन किराये पर प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रकिया अनुसार खुली निविदा आमंत्रित की जाए एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदा दाता की, निविदा के अनुमोदन किये जाने की कार्यवाही की जाए।
4. प्रत्येक वाहन का प्रभार घोषित होना आवश्यक है, जिससे कि वाहन प्रभारी/प्रभारियों के वेतन देयकों से नियमानुसार मासिक कटौती की जा सके।
5. वाहन प्रदायकर्ता को वाहन के मासिक किराए का भुगतान वाहन की लॉगबुक के सत्यापन के आधार पर ही किया जा सकेगा।

निरंतर ...2

6. अतिआवश्यक होने पर वाहनों को कार्यक्षेत्र से बाहर ले जाया जाये। सहायक प्रबंधक/उपयंत्री द्वारा वाहन इकाई के कार्यक्षेत्र के बाहर ले जाने की लिखित अनुमति महाप्रबंधक से प्राप्त की जायेगी तथा महाप्रबंधक द्वारा वाहन को कार्यक्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए लिखित अनुमति मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त की जायेगी।

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र.3087/22/वि–12/ग्रासविप्रा/लेखा/15/ भोपाल, दिनांक 7/07/2015

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय), मुख्यालय मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) मुख्यालय मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई .... मध्यप्रदेश।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल